

(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण

अर्जुन सिंह

बनाम

प्रतिवादीगण
सरकार

राजस्व वाद सं. 14/2019

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

दिख हुवम	हुवम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुये।
	<p>यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह शर्मा ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25-2-19 को पेश हो।</p> <p>पञ्चकार/पञ्चकारान के अधिवक्ता 25-2-19 पौडारीग अधिकारी के मिडिम में/अमण अनकाश पर जो हुये है, इसलिए प्रकरण उनके समान दिनांक 26-4-19 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पञ्चकार/पञ्चकारान के अधिवक्ता 26-4-19 पौडारीग अधिकारी के मिडिम में/अमण अनकाश पर जो हुये है, इसलिए प्रकरण उनके समान दिनांक 25-9-19 को प्रस्तुत करें।</p>	

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

11/5/22

पत्रावली पेश हुई प्रतिलिपि सा. 3 की सम्मन बाद वाकील पत्रावली पर उपलब्ध है की परफार्म प्रस्तुत है पत्रावली राजीनामा प्रस्तुत होने हेतु दिनांक 9/6/22 को पेश हो।

[Signature]

9/6/22

वकील वादी उपा. पठ साख पेश करे हैं। मिला दिनांक 17/6/22 को पेश हो।

अध्यापक/पत्रकारिता क अध्यापक

17/6/22

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अपय
प्रकारण पर... इसलिए प्रस्तुत
अन्य प्रमाण दिनांक 17/6/22 को
पेश हो।

अध्यापक/पत्रकारिता क अध्यापक

7/7/22

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अपय
प्रकारण पर... इसलिए प्रस्तुत
अन्य प्रमाण दिनांक 19/7/22 को
पेश हो।

9/7/22

वकील वादी अनु. आवाज लगाई गयी बाद आवाज वकील वादी एवं वादीगण हाजिर नहीं आये हैं अतः वादी वादी का अदल हाजरी एवं अदल पेशी में खारिज की जाती है। मिला नाख से को दाल दारिवाज हफ्ता हो।

[Signature]